अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकितय वाद सं0— 220 सन् 1994

चंद्रीका राय............वादी।

बनाम

दिनपत राय............प्रतिवादी।

दिनांकः— 28.09.2020

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी के वारिसानों की ओर से दिनांक— 24.12.2019 को दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

आवेदकगण की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर कथन है कि वादी चंद्रीका राय की मृत्यु दिनांक—23.11.2019 को हो गई। उनकी पत्नी की मृत्यु उनके जीवनकाल में ही हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में समुचित न्याय हेतु वादपत्र से वादी चंद्रीका राय का नाम काटकर उनके स्थान पर आवेदकगण का नाम जोड़ देना अत्यंत आवश्यक है। अतः आवेदन को स्वीकृत कर वादपत्र के खाने से वादी चंद्रीका राय का नाम काट दिया जाए। तथा उनके स्थान पर आवेदकगण 1. अम्बेदकर कुमार 2. मीणा देवी 3. सीमा देवी 4. अन्नु देवी 5. भास्कर मुरारी 6. आस्कर मुरारी का नाम जोर दिया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना, एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वादी सं0 1 चंद्रीका राय थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण को प्रतिस्थापना आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में आवेदकगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन स्वीकृत

किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक– 24.12.2019 को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय लिपिक वादी सं0 1 चंद्रीका राय का नाम वादपत्र से काटकर आवेदकगण का नाम प्रतिस्थापित करें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक– 13.10.2020

सब जज

सोनपुर, सारण।